न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 41/2024 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस नम्बर—2024/62

उनवान

1. श्री हीरालाल पिता मोतीराम जी ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी वीरवाकलां, तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।
2. श्री लीलाराम पिता मोतीराम ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी वीरवाकलां, तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।
3. श्री प्रदीप कुमार पिता महेन्द्र कुमार दोशी उम्र बालिग निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
4. श्री देवेन्द्र कुमार पिता महेन्द्र कुमार जी दोशी उम्र बालिग निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर।
5. प्रतिभा कुमारी पुत्री महेन्द्र कुमार दोशी उम्र बालिग निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर।
6. श्रीमती पदमावती पत्नी स्व. महेन्द्र कुमार दोशी उम्र बालिग निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
7. श्री देवीलाल पिता गुलाब सुथार उम्र बालिग निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला सलूम्बर।
8. श्री कन्हैयालाल पिता भेरूलाल दर्जी उम्र बालिग निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर फौत होने से मृतक के बजाय
   8/1 श्रीमती मोहनबाई पत्नी कन्हैयाला दर्जी उम्र बालिग
   8/2 श्री रघुनाथ पिता कन्हैयालाल उम्र बालिग
   निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्री लुकमान हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर
10. श्री युसुफ हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर।
11. श्री अब्बास हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर।
12. श्री सैफुद्दीन पिता अब्दुल हुसैन जी बोहरा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर के फौत होने से मृतक के बजाय
    12/1 श्री ताहेर अली पिता सैफुद्दीन बोहरा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर।
13. श्री मोहनलाल पिता रूपलाल जी दर्जी उम्र बालिग निवासी सलूम्बर।
14. श्री तस्दुक हुसैन पिता फिदा हुसैन बोहरा उम्र बागि निवासी सलूम्बर।
15. श्री यावर हुसैन पिता फखरूद्दीन बोहरा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर।
16. श्री मोहम्मद हुसैन पिता कुर्बानअलीजी बोहरा निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर।
17. श्री प्रभुलाल पिता कुरीलाल जी भदादा निवासी सलूम्बर फौत के बजाय
    17/1 श्री लक्ष्मीनारायण पिता प्रभुलाल जी भदादा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर।
18. श्रीमजी जतनदेवी पत्नी प्रभुलाल जी भदादा निवासी सलूम्बर मृतक के बजाय
    18/1 लक्ष्मीनारायण पिता प्रभुलाल भदादा निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर।
19. श्री शंकरलाल पिता कुरीलाल जी भदादा निवासी सलूम्बर।
20. श्री रमेशचन्द्र पिता गीरधारीलाल जी भदादा उम्र बालिग निवासी सलूम्बर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सलूम्बर।
2. नगरपरिषद सलूम्बर जरिये आयुक्त नगरपरिषद् सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—विपक्षीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उनवान–श्री हीरालाल बनाम राज्य सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 13/01/2025

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री निलेश कुमार जैन अधिवक्ता – विपक्षी सं. 2 तथा
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थिति

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा सलूम्बर पटवार मण्डल सलूम्बर मे प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थीगण व उनके अन्य सहखातेदार जो कुल मिलाकर 40 व्यक्तियों द्वारा सत्यनारायण पिता हरिराम सोमानी निवासी गंगापुर जिला भीलवाडा से दिनांक 23–11–1982 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया था व उक्त विक्रित कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 517 पर प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों के पक्ष में खोला जाकर खातेदारो के रूप में दर्ज किया गया, उक्त खातेदार द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में से साबिक आराजी नम्बर 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया तथा उक्त रूपान्तरण भूमि का नामान्तरण भी प्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति कुलिया 25 व्यक्तियो के नाम पर स्वीकृत किया गया तथा उक्त भूमि का नामान्तरण तत् समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आबादी बिलानाम स्वीकृत कर दिया गया व बकाया कृषि भूमि 40 व्यक्तियों के नाम से खातेदारी में चली आ रही है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1206, 1211, 1216, 1270, 1279, 1283, 1342, 1348/1 कुल किता 1 रकबा 10 बिघा 18 बिसवा थे जिसके हाल आराजी नम्बर/रकबा 1557/0.07, 1558/0.22, 1559/0.05, 1560/0.03, 1561/0.05, 1562/0.04, 1620/1559 रकबा 1.02, 1872/1.00 कुल किता 8 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर है। उक्त हाल आराजी नम्बर में से आराजी नम्बर 1557/0.07, 1558/0.22, 1559/0.05, 1560/0.03, 1561/0.05, 1562/0.04 कुल किता 6 रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि को आबादी मे रूपान्तरण करवाई।

उक्त वर्णित कृषि भूमि में से जो 2 बीघा 7 बिसवा कृषि भूमि प्रार्थीगण तथा अन्य खातेदारों द्वारा बिलानाम आबादी करवाई गई थी, राजस्व कर्मचारी तथा सेटलमेन्ट अधिकारियों के क्षणिक त्रुटी मात्र से बिलानाम आबादी के बजाय बिलानाम दर्ज हो गई। उक्त भुल केवल मात्र सेहवन से हुई है। सेटलमेन्ट पश्चात् जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प–12/3:37:राज/हस्ता/2002 दिनांक फरवरी 2004 द्वारा पुरे जिले में जो भी राजकीय बिलानाम सिवाय चक से कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि के साथ साथ सभी अन्य भुमियों के साथ नगरपालिका सलूम्बर को आबादी विस्तार हेतु हस्तान्तरण के आदेश दिये गये। जिससे प्रार्थीगण को बिना ज्ञान हुये ही प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त आबादी भूमि नगरपालिका सलूम्बर के नाम पर दर्ज कर दी गई।

यह कि दौराने पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् से ही प्रार्थीगण का उपरोक्त कृषि एवं अकृषि भूमि पर निर्बाध रूप से स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर मौके पर आबादीशुदा भूमि पर भूमि के चारो ओर से बाउण्ड्रीवाल बना रखी है, इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों ने जो कृषि भूमि क्रय की थी उसके अनुरूप राजस्व रिकार्ड में संवत् 2039–2042 में अपीलान्ट जो कि सद्भावि क्रेता होकर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खातेदारी हक के रूप में दर्ज थी। जिसके सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी नम्बर कलम संख्या 1 में वर्णित है। उक्त वर्णित साबिक आराजी नम्बर से जो हाल आराजी नम्बर बने है वे 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1620/1559, 1572 कुल किता 8 रकबा 0.48 हैक्टेयर बने है,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जिसमें से केवल मात्र 0.46 हैक्टेयर भूमि को आबादी में रूपान्तरण किया गया, जो कि साबिक आराजी नम्बर के अनुरूप 2 बीधा 7 बिसवा जमीन बनती है। उक्त 0.46 (2 बीघा 7 बिसवा) आबादी भूमि का पट्टा श्रीमान् उप जिला कलक्टर द्वारा जारी किया गया था, जिसके नामान्तरण संख्या 621 पर दर्ज होकर आबादी में दर्ज था।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजी नम्बर तथा हाल आराजी नम्बर में से 0.46 हैक्टेयर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के बाद आबादी दर्ज के नामान्तरण के अनुरूप वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज होना आवश्यक होकर न्यायोचित था परन्तु सेटमेन्ट कर्मचारी व राजस्व कर्मचारियों की क्षणिक त्रुटि के चलते प्रार्थीगण को अपुरणिय मानसिक क्षति से गुजरना पड रहा है क्योंकि आबादी के बजाय बिलानाम सरकार होने के बाद जिला कलक्टर के आदेश से जिले की सारी बिलानाम कृषि भूमि नगरपालिका के नाम पर दर्ज होने से प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य की आबादी भूमि से राजस्व रिकार्ड में अंकन शेष नहीं रहा है जबकि प्रार्थीगण का वक्त विक्रय पत्र के निष्पादन से लेकर आज दिनांक तक मौके पर आधिपत्य है तथा जिसकी स्वीकारोक्ति पूर्व में तहसीलदार के मौका पर्चा रिपोर्ट से भी परिलक्षित है ऐसी दशा में प्रार्थीगण के नाम पर उक्त आबादी भूमि को पुनः दर्ज कराया जाना आवश्यक होकर न्यायोचित हैं। किन्तु सेटलमेन्ट की क्षणिक त्रुटि से विवश होकर प्रार्थीगण को श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत; करना पड रहा है। अतः निवदेन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि में से मौजा सलूम्बर की हाल आराजी नम्बर 1557 से 1562 कुल किता 6 रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं अन्य के स्वामित्व आधिपत्य की है जिसका रूपान्तरण आबादी में हो जाने से पुनः खातेदारी आबादी दर्ज किये जाने एवं इन्द्राज दुरस्ती करने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रिजस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश कुमार जैन ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति करते हुये अंकित किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिलानाम आबादी भूमि के सम्बन्ध में वाद प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि आबादी भूमि के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र या वाद पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय आप न्यायालय को प्रापत नहीं है एवं इसी बिन्दु पर प्राथमिक स्तर पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को 40 व्यक्तियों के नाम पर खरीदकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना बताया है जबकि उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल 20 व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है जबकि सभी 40 खातेदार इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है इसलिये जब तक प्रार्थीगण सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाते तब तक प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है एवं पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। तद्पश्चात प्रार्थना पत्र के जवाब मे अंकित किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि वर्तमान में नगरपालिका सलूम्बर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो श्रीमान् जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प–12/3:137 राज/हस्ता/2002 दिनांक फरवरी 2004 द्वारा प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि भी राजकीय बिलानाम सिवाय चक से विपक्षी संख्या 2 नगरपालिका सलूम्बर के आबादी विस्तार हेतु हस्तान्तरण के आदेश दिये थे जिस आधार पर उक्त भूमि नगरपालिका सलूम्बर के नाम दर्ज की गई। एवं उक्त भूमि पर वर्तमान में नगरपालिका सलूम्बर खातेदार होकर काबिज है। प्रार्थीगण ने दिनांक 24–02–2004 के आवंटन आदेश के विरूद्ध आवंटन निरस्त कराने की आज दिन तक कोई अपील नहीं की है जिससे प्रार्थीगण का यह वाद लगभग 10 वर्ष बाद पेश किया जो

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अवधि पार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे विशेष कथन कर अंकित किया कि माननीय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 24–02–2004 को अपने आदेश क्रमांक प –12 / 3 (137) राज / हस्ता / 2002 / 592–596 के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विपक्षी नगरपालिका को आवंटित की जाकर उसी दिन कब्जा सिपुर्द कर दिया गया एवं दिनांक 21–06–2005 द्वारा लगान की 40 गुना राशि भी विपक्षी नगरपालिका द्वारा राजकोष में जमा करवा दी जा चुकी है एवं आज तक निरन्तर बेरोकटोक के विपक्षी नगरपालिका काबिज चली आ रही है एवं प्रार्थीगणों द्वारा आज तक आवंटन निरस्त कराने हेतु कोई अपील नहीं की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूम के सम्बन्ध में प्रार्थीगणों द्वारा पूर्व में एक वाद घोषणा व खातेदारी हक, दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का आप न्यायालय सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला उदयपुर में प्रस्तुत किया जा चुका है जो वाद शंकरलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य होकर जिसके मुकदमा नम्बर 158 / 2007 रा.वा. होकर उक्त वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 25–09–2018 को निर्णय दिया गया़ जिसमें वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई जिसके प्रकरण संख्या 96 / 2018 होकर उक्त अपील में दिनांक 25–09–2019 को सम्बन्धि अपील न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2018 को यथावत रखे जाने का निर्णय प्रदान किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील 96 / 2018 की पुनः अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई जिसके अपील संख्या अपील डिक्री / टीए / 6767 / 2019 / उदयपुर होकर उक्त अपील में दिनांक 21–02–2023 को सम्बन्धि अपील न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज की जाकर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2019 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर सलूम्बर का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2018 को बहाल रखे जाने का निर्णय प्रदान किया गया।उक्त अपील डिक्री / टीए / 6767 / 2019 / उदयपुर की नजरसानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई जिसके प्रार्थना पत्र संख्या नजरसारी अपील डिक्री / टीए / 1431 / 2023 / उदयपुर होकर उक्त नजरसारी में दिनांक 04–10–2023 को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त नजरसारी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–02–2023 को निरस्त नहीं किया गया। अतः श्रीमान् न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय हो चुका है तथा मौके पर नगरपालिका सलूम्बर / नगरपरिषद सलूम्बर एकमात्र खातेदार होकर कब्जा चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने राजस्व रेकार्ड के आधार पर रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 वर्तमान में नगर पालिका सलूम्बर के खाते में दर्ज है व उक्त आराजी की किस्म आबादी दर्ज है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित साबिक आराजी नम्बर 1206, 1211, 1216, 1268, 1670, 1279, 1283, 1342, 1348 / 1 कुल रकबा 10 बिघा 18 बिस्वा किस्म मगरी राजस्व ग्राम सलूम्बर की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 के खाता संख्या 172–48 पर प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थी। संवत् 2039–42 में दिनांक 09–05–1985 को नामान्तरण

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

संख्या 621 द्वारा कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन होने से उक्त आराजीयात के कुल रकबा 10 बिघा 18 बिस्वा में से 2 बिघा 7 बिस्वा रकबा आबादी बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1572, 1620 / 1559 कुल किता 8 रकबा 2.48 हैक्टेयर भूमि उनके पुराने साबिक खसरा नम्बर 1206 से संबंधित है किन्तु राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण के पुराने आराजी नम्बर 1206 व अन्य से निम्न हाल आराजियात बने है–

साबिक आ.न.	रकबा	हाल आ.न.	रकबा (हैक्टेयर)
1206 मी	1 बिघा 19 बिस्वा	1557	0.07
1206 मी		1558	0.22
1206 मी		1559	0.05
1205		1560	0.03
1206 मी		1561	0.05
1206 मी		1562	0.04
1206		1620 / 1559	1.02
1206 मी		1572	1.00

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात उक्त टेबल अनुसार खाते में दर्ज थे किन्तु हाल आराजी नम्बर 1560 रकबा 0.03 हैक्टेयर साबिक आराजी नम्बर 1205 रकबा 1 बिघा 19 बिस्वा से बना है जो प्रार्थीगण के खाते दर्ज नहीं था। सेटलमेन्ट के दौरान हाल आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1561, 1562 कुल किता 5 रकबा 0.43 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज हुई जिनकी किस्म मगरी दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 273 दिनांक 22–06–2005 द्वारा नगर पालिका को आबादी विस्तार हस्तान्तरित कर दिये गये। पूर्व में इसी प्रकरण में तैयार की गई प्रमाणित कमीश्नरी रिपोर्ट दिनांक 11–04–2016 अनुसार "आराजी नम्बर 1557, 1558, 1562 राजमार्ग सलूम्बर बासवाडा के मध्य बिन्दु से 50 फिट की दुरी पर फर्दन–फर्दन जगह पर बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। वादीगण द्वारा अपना क़ब्जा होना बताया गया जो मौके अनुसार जाहीर आया" व "आराजी नम्बर 1559, 1560, 1561 राजमार्ग से सटी होकर 50 फिट के बाद आती है" वर्तमान में भी यही स्थिति कायम है व प्रार्थी काबिज है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम लगभग 20 प्रार्थी है प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि ग्राम सलूम्बर मे 40 व्यक्तियों ने 23–11–1982 मे गंगापुर वासी से जरिये विक्रय पत्र के खरिदी जिसे बाद नामान्तरण संख्या 517 हमारे नाम पर खुला। तत्पश्चात कृषि भूमि मे से 2 बिघा 7 बिस्वा भूमि संपरिवर्तन के बाद नामान्तरण संख्या 621 से आबादी दर्ज हो गई। आबादी होने के पश्चात सेटलमैन्ट हुआ, सेटलमेन्ट मे आबादी शब्द हटकर बिलानाम हो गया जिसके बाद प. 12 / 3 / 137 / राज / हस्ता / 2002 कलक्टर उदयपुर के आदेश से भूमि नगरपालिका सलूम्बर को हस्तान्तरित कर दी गई। वर्तमान तक दाखिल नगरपालिका के नाम ही चल रहा है। उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज करें। विपक्षी नगरपरिषद के जवाब के कलम संख्या 2 मे उसी पत्र का हवाला दिया है, जो

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

हमने भी कथन किया है। इन्होने कहा कब्जा नही रहा जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है मौके पर हमारा कब्जा है। विषेश कथन मे कहा की पूर्व मे भी राजस्व वाद चला है जो खारिज हो गया है पूर्व की रिपोर्ट मे भी कब्जा हमारा बताया है। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपील डिक्री/टीए/6767/2019/उदयपुर निर्णय दिनांक 21–02–2023 द्वारा अपील खारिज किया तथा कहा की 136 का प्रार्थना पत्र ला सकते है। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने प्रकरण संख्या 96/2018 निर्णय दिनांक 25.09.2019 अपील खारिज कर दी तथा विवेचन मे भी स्पष्ट अंकित किया है कि "अपीलान्ट पैमाईश वालों की गलती बताता है तो उसे इसके लिए धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दाद हासिल करनी चाहिए थी, जिसके लिए वह स्वतंत्र है"। अभी भूमि नगरपरिषद के नाम है हमने भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरिदी तब से सभी दस्तावेज पत्रावली मे पेश किये है पत्रावंली मे तहसीलदार सलूम्बर का जवाब/रिपोर्ट आ चुका है जिसमे भी हम प्रार्थीगणो के तथ्यों को स्वीकार किया है। सेटलमेन्ट की त्रुटि को हटाया जावे व भूमि हमारे नाम दर्ज करावे।

विपक्षी संख्या 2 ने की बहस अपने जवाब मे अंकित तथ्यों के अनुसार रही तथा कथन किया कि प्रार्थीगण ने सभी खातेदारो का पार्टी नही बनाया है तथा सभी के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर नही है। प्रार्थीगण का कथन है कि आबादी भूमि से बिलानाम दर्ज हुई, आबादी भूमि का तथ्य सुनने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को नही है। पूर्व मे भी इसी भूमि बाबत् वाद हो चुके है, उक्त संबंध मे प्रार्थीगण पुनः वाद नही दायर कर सकते है। मौके पर बाउण्ड्रीवॉल बनी है इसका कथन प्रार्थीगण ने किया है लेकिन पत्रावली मे रिपोर्ट मे किसी भी तरह के कब्जे का हवाला नही आया है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि को पुनः कृषि भूमि मे दर्ज कराना चाहते है अथवा आबादी भूमि मे यह स्पष्ट नही है।

बहस रिबुटल मे अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थनापत्र मे यह दाद नही चाहि है कि कितने लोगो के हस्ताक्षर है अथवा नही, हमारा प्रार्थना पत्र है न की वाद प्रार्थीगण की भूमि बिना किसी आधार के नगरपालिका हाल नगर परिषद के नाम चली गई है। मौके पर बाउण्ड्रीवाल हमने बनाई है, यह नगर पालिका ने नही बनाई है, आज भी कब्जा हमारा है। हम केवल त्रुटि ठीक करवाने न्यायालय मे आये है, यहां स्वामित्व का झगडा नही है।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। विपक्षी सं. 2 ने उक्त भूमि से संबंधित पूर्व मे हुए न्यायालय निर्णय एवं अपील मे हुए निर्णय की प्रतिया पेश की जिनका अध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया जिसमे अपीलीय न्यायालय ने यह माना है कि अपीलार्थी पैमाईशी के संदर्भ में कोई रिलीफ चाहिए तो वह स्वतंत्र है। साबिक आराजी नम्बर 1206, 1211, 1216, 1268, 1670, 1279, 1283, 1342, 1348/1 कुल रकबा 10 बिघा 18 बिस्वा किस्म मगरी राजस्व ग्राम सलूम्बर की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 के खाता संख्या 172–48 पर प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थी। संवत् 2039–42 में दिनांक 09–05–1985 को नामान्तरण संख्या 621 द्वारा कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन होने से उक्त आराजीयात के कुल रकबा 10 बिघा 18 बिस्वा में से 2 बिघा 7 बिस्वा रकबा आबादी बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित साबिक आराजी से बने हाल आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1561, 1562 कुल किता 5 रकबा 0.43 हैक्टेयर बिलानाम आबादी दर्ज न होकर बिलानाम किस्म मगरी दर्ज हुई। जो कि रिकॉर्ड अवलोकन से त्रुटि पूर्ण होना जाहिर होता है। जिंसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी होती है। उक्त हाल आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1561, 1562 कुल

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

किता 5 रकबा 0.43 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज होने के बाद नामान्तरण संख्या 273 दिनांक 22–06–2005 द्वारा नगर पालिका को आबादी विस्तार हेतु हस्तान्तरित किया गया जिसका अंकन हाल रिकॉर्ड मे है। श्रीमान् जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक फरवरी 2002 द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–6 / 124 / राज / ग्रुप–4 / 83 / 30 दिनांक 18–11–83 एवं प. 6 / 124 / राज / ग्रुप–4 / 80 / 9 दिनांक 09–04–86 के अनुसरण में तहसीलदार सलूम्बर को नगरपालिका, सलूम्बर की सीमा में स्थित ग्राम सलूम्बर की राजकीय बिलानाम सिवायचक आराजी की भूमि नगरपालिका सलूम्बर को आबादी विस्तार हेतु हस्तान्तरण किया जाना था न की किसी खातेदार की खातेशुदा आबादी बिलानाम भूमि, जिसे तत्कालीन समय पर तहसीलदार द्वारा रिकॉर्ड की स्थिति सही तरह से अवलोकन नही किया जाना प्रतीत होता है। जिस कारण से प्रार्थीगण को अनावश्यक वादकारण उत्पन्न होने से लम्बी अवधि तक वाद प्रक्रिया से गुजरना पडा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा सलूम्बर पटवार हल्का सलूम्बर के प्रार्थीगण के साबिक आराजी से बने हाल आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1561, 1562 कुल किता 5 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान मे आबादी नगरपालिका सलूम्बर के खाते दर्ज अंकित है उक्त भूमि नगरपालिका सलूम्बर हाल नगरपरिषद सलूम्बर के खाते से कम कर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थीगण के नाम बिलानाम आबादी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जाती है कि निर्णय अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे शुद्धि कर पैमुद करे।

निर्णय दिनांक 13/01/2025 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला– सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर